जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था0दो/(1)/42/274 दिनांक 07/03/2025

//विज्ञापन//

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वाहन चालक (तृतीय श्रेणी) एवं स्किल्ड सपोर्ट स्टफ (चतुर्थ श्रेणी) के पदों की पूर्ति हेतु योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र कुलसचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर–482004 (म.प्र.) के कार्यालय में दिनांक 16.05.2025 तक कार्यालयीन समय सायं 06.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से प्रेषित किये जा सकेंगे। अन्य माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जावेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(अ) वाहन चालक (सीधी भर्ती)

वेतनमान {ICAR (PB-1, 5200-20200/- GP 2000/-), Level - 3 Pay 21700-69100}

क्र.	श्रेणी	पद संख्या
1.	अनारक्षित (UR)	3
2.	अनुसूचित जाति (SC)	2
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	3
5.	ई.डब्ल्यू.एस.	1
	योग	**11**

वाहन चालक (सीधी भर्ती–बैकलॉग)

वेतनमान {ICAR (PB-1, 5200-20200/- GP 2000/-), Level - 3 Pay 21700-69100 }

1.	अनुसूचित जाति (SC)	1
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	3
	योग	**4**

शैक्षणिक योग्यता –

(1) मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(2) आर.टी.ओ. द्वारा जारी हल्के एवं भारी (LMV & HMV) **वाहन चलाने का वैधानिक/जीवित ड्राविंग लायसेंस होना अनिवार्य है।**

(3) समिति द्वारा ली जाने वाली व्यवहारिक कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(4) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान (शासकीय /अर्द्धशासकीय) में वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय –

(1) एक वर्ष का वाहन चलाने/रखरखाव संबंधी आई.टी.आई. प्रमाण पत्र अथवा

(2) वाहन सुधार/मैकेनिक कार्य का अनुभव।

(ब) स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ (सीधी भर्ती)

वेतनमान {ICAR (PB-1, 5200-20200/- GP 1800/-), Level - 1 Pay 18000-56900}

क्र.	श्रेणी	निल		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला		दिव्यांगों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 VH, 01 EH, 01 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिए लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की ओपन रिक्तियों में समाहित है।
1.	अनारक्षित (UR)	9	4	13	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	5	2	7	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	6	3	9	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	7	4	11	
5.	ई.डब्ल्यू.एस.	3	1	4	
	योग	**30**	**14**	**44**	

शैक्षणिक योग्यता –

मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा आई.टी. आई. उत्तीर्ण।

विज्ञापित पदों हेतु सामान्य जानकारी एवं शर्ते

विशेष – माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डबल बैंच के समक्ष प्रस्तुत एल.पी.ए. क्र. 124/2002 ज.ने.कृ.वि.वि. एवं अन्य विरूद्ध राजेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15/12/2003 एवं डब्ल्यू.पी. क्र. 12609/2015 संपतलाल त्रिपाठी एवं अन्य विरूद्ध ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 11/09/2017 के परिपालन में चतुर्थ श्रेणी के पद (स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ के पदों) पर सर्वप्रथम उन योग्यता धारी (शैक्षणिक एवं आयु) व्यक्तियों पर किया जावेगा जिनका नाम एल.पी.ए. क्र. 124/2002 में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की 354 व्यक्तियों की सूची में है।

आरक्षण

उपरोक्तानुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापित पदों में निम्नवत् आरक्षण की व्यवस्था प्रभावी रहेगीं।

1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्धों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लम्बवत् (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा–

अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत

2) मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक सी.–3–8–2015–एफ–3. दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है '' किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में **सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदो के (वन विभाग को छोड़कर) पैंतीस 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे** तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईस) होगा। किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के आभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जायेंगे।

मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

3) सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट) भोपाल, दिनांक 03/07/2018 एवं कमांक 8–4/2001/आ.प्र/एक (पार्ट) दिनांक 01/06/2022

के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना में सीधी भर्ती के प्रक्रम मे भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगो के लिए 06 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है:–

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टिबाधित	(VH)	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिसट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिस्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

दिव्यांगता प्रमाण पत्र:– दिव्यांगजन श्रेणी में अभ्यर्थीयों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–1–सत्रह–मेडी–2 दिनांक 09/01/2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06/05/2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01/06/2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी पोर्टल http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण पत्र में 40 प्रतिशत या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

4) संविदा कर्मियों हेतु आरक्षण नियमः–

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 के अंतर्गत प्रावधानित दिशानिर्देशों के अनुरुप विज्ञापित पदों में संविदा कर्मियों हेतु आरक्षण व्यवस्था प्रभावशील रहेगी।

अंतिम परिणाम आने से पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग या माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, जिसमें शासन द्वारा निर्देशित किया जाकर कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाकर तत्समय में प्रभावी आरक्षण व्यवस्था के अनुरुप परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

उक्त विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019, 18105/2021 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से सम्बंधित याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निराकरण पर निर्भर होगा। मा. न्यायालय द्वारा इनके सम्बन्ध में अंतिम निर्णय होने तक अन्य पिछड़ वर्ग हेतु आरक्षित 13 प्रतिशत पदों हेतु परिणाम होल्ड रखा जायेगा

5) **आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग**:– आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक मध्यप्रदेश शासन समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–07–11/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 के दिशा–निर्देशों के अनुरुप निर्धारित प्रमाण पत्र को अनिवार्यतः प्रविष्ट करें। प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हो तथा इसके न होने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

यात्रा भत्ता

1) ऐसे अभ्यर्थियों को जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रुप में सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं को साक्षात्कार में

उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जावेगी। यात्रा व्ययों के हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वार जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–2/2013/नियम/चार दिनांक 29 जून 2019 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने वाले परिक्षार्थियों को यात्रा भत्ता (विशेषतः आरक्षित श्रेणी) का भुगतान केवल ई भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी संबधित अभ्यर्थी संलग्न प्रारुप में अपने बैंक खाते संबंधित विवरण आवश्यक रुप से साथ में लेकर आवें।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता

1) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी की जन्मतिथि की स्वीकार्यता हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री पर उल्लेखित हो मान्य होगी। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ऐसे आवेदन हेतु परीक्षा शुल्क वापसी का दायित्व विश्वविद्यालय प्रशासन का नहीं रहेगा।

2) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या नियुक्ति के लिए अपात्र रहेगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

3) आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं धारित किया जाना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात् अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी अपात्र होगें।

4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

5) एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगें।

आवेदन का रद्द किया जाना

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और निहित आवेदन पत्र के प्रारुप में नहीं है अथवा जिनके साथ परीक्षा शुल्क संलग्न नहीं पाए गए, रद्द कर दिये जावेंगें तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

ऐसे आवेदन जिसमें आरक्षण, कार्यानुभव एवं आयु में छूट के संबंध में दावा किया है, उन्हें शासन के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर आवेदन रद्द किये जायेंगे।

आवेदन शुल्क

क्र.	पद का नाम	आवेदन शुल्क राशि रू.	
		अनारक्षित	अनु. जनजाति/अनु. जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग
1.	वाहन चालक सह मैकेनिक	800/–	400/–
2.	स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ	400/–	200/–

नवीन आवेदक आवेदन पत्र के साथ **''जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय''** के नाम से जो जबलपुर में देय हो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट उपर उल्लेखित अनुसार संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। पूर्व में प्रेषित आवेदनों हेतु आवेदनकर्ता को

नवीन आवेदन के साथ केवल पूर्व में जमा की गई आवेदन शुल्क की राशि की पावती संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

आयु सीमा –

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के परिप्रेक्ष्य में आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा **40 वर्ष** निर्धारित रहेगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 45 वर्ष निर्धारित रहेगी।

मध्यप्रदेश शासन समान्य प्रशसन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07–46/2021/आ.प्र/एक दिनाक 18/09/2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **03 वर्ष** की छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा में अन्य कोइ छूट देय नहीं होगी।

आयु संगणना तिथि :– आयु की संगणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि (16/05/2025) से की जावेगी। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को **निर्धारित आवश्यक अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।**

चयनित अभ्यर्थियों को म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12.12.2019 से जारी निर्देशों के अनुसार 3 वर्ष की परीवीक्षावधि एवं स्टायपेंड पर नियुक्त किया जावेगा।

चयन परिणाम एवं अन्य सूचनाऐं अधिकृत ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर प्रदर्शित की जावेंगी तथा चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात् कोई कम्प्यूटर/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आने पर विश्वविद्यालय को परिणाम में यथोचित सुधार करने के अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के अंतर्गत सुरक्षित रहेंगे।

आवश्यक होने पर विज्ञापित पदों एवं दिशा–निर्देशों में संशोधन समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जावेंगे। जिसके पालन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी।

आवेदक आवेदन के साथ निम्न अभिलेखों संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रुप से संलग्न करें।

जाति के सत्यापन हेतु:– सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'जाति प्रमाण पत्र' जिसमें जाति एवं संवर्ग स्पष्ट उल्लेखित हो।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :– केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री की अंकूसची/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :– विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव।

शासकीय सेवा अनुभव एवं संविदा होने का प्रमाण पत्रः– यह प्रमाण पत्र **नियुक्ति प्राधिकारी** द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

पदों के संबंध में विवरण –

1) कृषि विज्ञान केन्द्रों के उपरोक्तानुसार स्वीकृत एवं भरे जाने वाले पद भारत शासन से प्राप्त अनुदान तक की अवधि के लिये ही मान्य होंगे अर्थात् भारत शासन से राशि प्राप्त नहीं होने पर अर्थात् **राशि प्राप्त होना बंद होने की स्थिति में राज्य शासन व्यय भार नहीं उठायेगी। अर्थात् पद समाप्त किये जायेगें।**

2) किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं स्वीकृत वेतनमान से अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त पदों पर चयनित व्यक्ति **राज्य सरकार के वित्त पोषित पद पर पदस्थ/स्थानांतरित नहीं किये जा सकेंगे ।**

3) समस्त नवीन नियुक्तियां वर्तमान में **प्रचलित नवीन अंशदान पेंशन योजना के तहत की जावेगी।**

4) उपरोक्त विज्ञापित पद के अंतिम चयन हेतु **01 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों** को प्रावीण्यता के आधार पर साक्षात्कार एवं वाहन चालन की योग्यता के परीक्षण हेतु बुलावा पत्र जारी किया जावेगा। समस्त मूल प्रमाण पत्रों को सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जावेगा।

5) उक्त नियुक्तियां कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए ही स्वीकृत हैं **इनका स्थानांतरण अन्य एवं राज्य भासन योजनाओं में नहीं होगा। उक्त वेतनमान एवं समयमान/पदोन्नति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एवं राज्य शासन प्रावधान अनुसार ही देय होगा।?**

6) विवाद की स्थिति में न्यायालीन क्षेत्र, जबलपुर रहेगा।

7) किसी भी प्रकार के डाक विलंब हेतु विश्वविद्यालय की उत्तरदायित्वता नहीं रहेगी।

अन्य छूटः–

1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को समान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1995 के सदंर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक मान्य नहीं होगी। इस दावे की पुष्टि हेतु साक्ष्य (शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा।

2) विक्रम पुरुस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–3/18/85/3/1 दिनांक 03/09/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी। इसके साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82 दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्षों की छूट होगी जो अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी।

4) उपरोक्त बिन्दु 1,2,3 के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरुप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का अधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए देय छूट मिलेगी।

5) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त

श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होगें तथा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में छूट प्रदान नहीं की जावेगी।

6) **आरक्षण एवं अन्य छूट में दावा करने वाले अभ्यर्थियों को म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

7) **सेवानिवृत्ति आयुः–** उपरोक्त विज्ञापित पद हेतु सेवानिवृत्ति आयु मध्यप्रदेश शासन/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के निर्देशानुसार रहेगी।

8) **विश्वविद्यालय में कार्यरत् पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।**

आवेदन पत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि दिनांक 16.05.2025

कुलसचिव
ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय,जबलपुर